भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 764
दिनांक 8 फरवरी, 2022 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

'कोविड-19 के कारण हुई मौतों की जानकारी छिपाना

764 श्री विशम्भर प्रसाद निषादः
श्रीमती छाया वर्माः
चौधरी सुखराम सिंह यादवः
श्री राम नाथ ठाकुरः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकारों द्वारा कोविड़-19 के कारण हुई मौतों की संख्या छिपाई गई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्यों ने अपने-अपने राज्यों में पूर्व में दर्ज की गई मृत्यु की संख्या में संशोधन करके मृत्यु की संख्या को नौ गुना बढ़ा दिया है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार मौतों की वास्तविक संख्या का पता लगाने के लिए इस संबंध में केंद्रीय एजंसियों (अभिकरणों) द्वारा एक नया सर्वेक्षण करवाएगी?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) और (ङ): केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मौतों की सूचना देने संबंधी विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तदनुसार सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र नियमित आधार पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को मामलों और मौतों संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

आईसीएमआर ने 10 मई, 2020 को ''भारत में कोविड-19 संबंधी मौतों की उचित रिर्काडिंग संबंधी दिशा निर्देश'' जारी किए हैं
जो(https://www.icmr.gov.in/pdf/covid/techdoc/Guidance_appropriate_recording_of_related_deathsIndia.pdf) पर उपलब्ध हैं।
स्वास्थ्य राज्य संबंधी विषय है। ऐसा पाया गया है कि कुछ राज्यों ने मृत्यु दर संबंधी डाटा के मिलान तथा कानूनी उत्तराधिकारियों/परिवार द्वारा किए गए दावों के आधार पर समय समय पर कोविड-19 संबंधी मौतों की सूचना को संशोधित किया है।

****